राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 2109, 2110 व 2111/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स बृन्दावन फूड प्रोडक्ट्स, रेलवे लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. कैंटीन के पास, जयपुर

बनाम

(1) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राज. जोन–तृतीय, जयपुर

(2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/2016	खण्डपीठ श्री खेमराज, अध्यक्ष श्री मनोहर पुरी, सदस्य अपीलार्थी द्वारा ये तीन अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 191, 192 व 193/16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। तीनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 24.10.2015 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि व्यवहारी आगरा–जयपुर शताब्दी ट्रेन में केटरिंग का कार्य करता है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता बनती है, किन्तु व्यवहारी द्वारा ना तो देय कर राजकोष में जमा करवाया गया है, एवं ना ही उक्त संव्यवहार अपनी लेखा–पुस्तकों/वैट–10 में दर्शाय गया है। अतः सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी–प्रथम, प्रतिकरापवंचन सम्भाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत दिनांक 20.06.2016 को पारित करते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं वेट अधिनियग की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 08.09.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 2109, 2110 व 2111/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स बृन्दावन फूड प्रोडक्ट्स, रेलवे लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. कैंटीन के पास, जयपुर

बनाम

(1) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राज. जोन–तृतीय, जयपुर

(2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03/10/2016

61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए, कर व ब्याज के बिन्दु पर स्थगन देने से इंकार किया गया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग/वसूली योग्य राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अवधि	आरोपित			
		कर	ब्याज	शास्ति	योग
1	2	3	4	5	6
2109/16	2013–14	1,20,619	47,043	2,41,238	4,09,900
2110/16	2014–15	3,40,199	91,853	6,80,398	11,12,450
2111/16	2015–16	3,06,165	45,925	6,12,330	9,64,420

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का विरोध करते हुए कथन किया कि व्यवहारी द्वारा शताब्दी गाड़ी में यात्रियों को खाना उपलब्ध करवाया गया है। खाने की कीमत यात्रा टिकिट के साथ ही रेलवे द्वारा वसूल कर ली जाती है। व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार की राशि यात्रियों से वसूल नहीं की जाती है। व्यवहारी द्वारा रेलवे के साथ निष्पादित एक संविदा के तहत यात्रियों को खाना उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा जब कोई राशि वसूल ही नहीं की गयी है, तो उस पर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए, कर व ब्याज की राशि को वसूलनीय अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली पर स्थगन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया :–

(1) 2000 (6) एस.सी.सी. 12 (एस.सी.) 20th सेंचूरी फायनेंस कॉर्पोरेशन लि0 बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र

(2) 118 एस.टी.सी. 9 (एस.सी.) रेनबो कलर लेब व अन्य बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 2109, 2110 व 2111/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स बृन्दावन फूड प्रोडक्ट्स, रेलवे लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. कैंटीन के पास, जयपुर

बनाम

(1) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राज. जोन–तृतीय, जयपुर

(2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/2016	(3) (1978) 48 एस.टी.सी. 386 (एस.सी.) नदर्न इण्डिया केटर्स बनाम लेफ्टीनेंट गवर्नर ऑफ देहली (4) 2006 (2) एरा.टी.आर. 161 (80) (एस.सी.) भारत रांचार निगम लिमिटेड व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (5) (1991) 83 एस.टी.सी. 181 (राज.) राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (6) (2008) 12 वी.एस.टी. 300 (राज.) बी.एस.एल. वुलफिंग लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य (7) (1996) 102 एस.टी.सी. 6378 प्रेम केबल्स प्रा0 लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य खाद्य वस्तुओं का विक्रय किया गया है, जिस पर देय कर जमा करवाने का दायित्व अपीलार्थी का है। अपीलार्थी द्वारा ना तो देय कर राजकोष में जमा करवाया गया है एवं ना ही संव्यवहार का इंद्राज लेखा–पुस्तकों एवं वैट–10 में किया गया है। इस प्रकार व्यवहारी पर शास्ति का आरोपण भी विधि अनुसार किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने निर्णय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय **Indian Railways Catering & Tourism Corporation Ltd. V/s Govt of NCT of Delhi & Ors** **में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2010** का हवाला दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि रेलवे में केटरिंग कर दायरे में आती है, जिस पर वैट का आरोपण नियमानुसार है। उक्त निर्णय के आलोक में व्यवहारी पर करारोपण पूर्णतया विधिसम्मत है। देय कर जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर ब्याज का आरोपण एवं अपने संव्यवहार का लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किये जाने पर शास्ति का आरोपण भी उचित प्रकार से किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति राशि की सीमा तक अपीलार्थी को स्थगन प्रदान किया जाकर अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कर व ब्याज के बिन्दु पर सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के लगातार.....4	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–3) 2109, 2110 व 2111/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स बृन्दावन फूड प्रोडक्ट्स, रेलवे लोको कॉलोनी, आर.पी.एफ. कैंटीन के पास, जयपुर

बनाम

(1) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, राज. जोन–तृतीय, जयपुर
(2) अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 4 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/10/2016	पक्ष में नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती हैं। उपरोक्तानुसार तीनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	